


झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

आदेश

विश्वव्यापी Covid-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के न्यायाधिकरण में चल रहे संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित मामले की सुनवाई अगले आदेश तक Virtual Court के माध्यम से होगी, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-


- 1- यह सुनवाई Google Meet पर होगी।
- 2- सुनवाई की निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना सात दिन पूर्व संबंधित पक्षों के mail ID एवं WhatsApp No पर दी जायेगी।
- 3- सुनवाई के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व अथवा पूर्व निर्धारित समय पर लिंक जेनरेट किया जायेगा।
- 4- सुनवाई से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी झारखण्ड विधान सभा के secy-jhvidhansabha@jharkhandmail.gov.in के माध्यम से दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की जानकारी/ अभिलेख इसी Mail ID पर प्राप्त की जायेगी।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,


झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-कार्मिक-05/2021 -.....1292...../वि0स0, राँची, दिनांक-29/07/21
प्रति:-सभी माननीय सदस्यगण (मंत्रिगण सहित), झारखण्ड विधान सभा/
सभी नेता, विधायक दल, झारखण्ड विधान सभा/ सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-कार्मिक-05/2021 -.....1292...../वि0स0, राँची, दिनांक-29/07/21
प्रति:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय
कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ/
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के विधि कोषांग/ स्थापन शाखा/ लेखा शाखा/
लेखन-सामग्री शाखा/ JVS TV / वेबसाईट शाखा/ प्रतिवेदन शाखा/ अवधायक शाखा/
जन सम्पर्क पदाधिकारी एवं कार्मिक शाखा को 25 (पच्चीस) प्रतियों में सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय कुमार)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।